X योजना की घोषणा

सभी राज्य सरकारें मई-जून में योजना के ब्यौरों की घोषणा करेंगी तथा राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन पत्र आमन्त्रित करेंगी। आवेदन फार्म तथा अन्य विवरणों के लिए आवेदन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र जिससे छात्र सम्बन्धित है को सम्बोधित किए जाएंगे। अभ्यार्थी पूर्ण आवेदन पत्र विहित अधिकारी को आवेदन पत्र प्राप्ति के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि से पहले भेजेगा।

XI आवेदन की प्रक्रिया

(I) छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र में निम्नलिखित सम्मलित होना चाहिए।
(क) निर्धारित फार्म में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र की एक प्रति "नई" तथा नवीकृत छात्रवृत्ति के लिए अलग-अलग आवेदन प्रपत्र निर्धारित किए गए है।
(ख) छात्र द्वारा हस्ताक्षर की हुई पासपोर्ट आकार फोटो (नई छात्रवृत्ति के लिए)
(ग) सभी उत्तीर्ण परीक्षाओं से सम्बधित /डिप्लोमा/डिग्री इत्यादि के प्रमाणपत्रों की एक सत्यापित प्रति,
(घ) प्राधिकृत राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के स्तर से नीचे न हो के द्वारा यथाविधि हस्ताक्षर किया हुआ एक जाति प्रमाणपत्र (मूल रूप में)
(ङ) माता-पिता/अभिभावक द्वारा सभी स्त्रोतों से आय बतलाते हुए आय की घोषणा यदि आयकर के प्रयोजन से मकान किराया भत्ता शामिल न करें।
(च) आवेदन पत्र से संलग्न फार्म में सम्बन्धित संस्थान के प्रधान द्वारा यथाविधि प्रति हस्ताक्षर की गई छात्रवृत्ति की प्राप्ति की रसीद यदि आवेदक ने इस योजना के अन्तर्गत पूर्ववर्ती वर्ष में छात्रवृत्ति प्राप्त की हो,

(II). सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र, अभ्यार्थी जिस संस्थान में अध्ययन कर रहा है या अध्ययन कर चुका है के प्रधान को प्रस्तुत किए जाए तथा छात्र से सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार उनके द्वारा इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट अधिकारी को सम्बोधित किए जाएं।

(III). अपूर्ण या निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।